जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः प-( )जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./2007/डी-1153 दिनांकः 31-7-07

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 40 वी बैठक दिनांकः 28.07.07 को पूर्वान्ह् 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले जनप्रतिनिधिगण व अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है । बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं0	जोन सं0	प्रस्ताव सं0	प्रस्ताव का विवरण	निर्णय
1.		40:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 39 वी बैठक दिनांकः 29.06.07 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन बाबत् ।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 39वी बैठक दिनांकः 29.06.07 के कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया ।
2.	6	40:2	भूखण्ड संख्या 2 सैक्टर 15 ग्राम झोटवाडा की अधिक भूमि के आंवटन हेतु।	उपायुक्त जोन-6 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि भूखण्ड संख्या 2 सैक्टर 15 ग्राम झोटवाडा में श्री साधुराम पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा ने जरीय निलामी 393.33 वर्गगज भूमि क्रय की गई थी। उक्त भूखण्ड मौके पर 425.55 वर्ग गज उपलब्ध है अर्थात विक्रय की गई भूमि से अधिक भूमि 32.22 वर्गगज के आंवटन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अतिरिक्त भूमि को स्ट्रीप ऑफ लैण्ड मानते हुए जोन की आरक्षित दर से दुगुनी दर पर आंवटन करने का निर्णय लिया जाना है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर जोन की आवासीय आरक्षित दर की दुगुनी दर पर आंवटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	7	40:3	हनुमान नगर सी-ब्लॉक में हनुमान नगर विकास समिति के साथ सहभागिता के आधार पर बनाया गया सामुदायिक केन्द्र की किराया दर बाबत्।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि हनुमान नगर कॉलोनी के सी-ब्लॉक में बने सामुदायिक केन्द्र को शादी-विवाह और अन्य समारोह पर किराये दर बढाने बाबत् हनुमान नगर विकास समिति द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति समिति की 37 वी बैठक दिनांक 25.04.07 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति के प्रस्ताव अनुसार किराया राशि बढोतरी की गयी परन्तु अमानत राशि जो पूर्व में 5000/- रूपयें थी। समिति ने इसमें बढोतरी नही करके 5000/- रूपयें का ही प्रस्ताव दिया था। परन्तु भूमि एवं सम्पत्ति समिति की उक्त 37वी बैठक में अमानत राशि 500/- रूपयें लेने का निर्णय हुआ है। अतः अमानत राशि को संशोधित करने हेतु प्रकरण पुनःभूमि एवं सम्पत्ति समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है। उपायुक्त द्वारा मिटिंग के दौरान अवगत कराया कि 37 वी बैठक में लिये

उपायुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

2/9

				निर्णय में अमानत राशि 5000/- के बजाय 500/- अंकित कि गई है प्रतीत होता है कि टाईप की गलती से 5000/- हजार के बजाय 500/- टाईप हुआ है जबकि अमानत राशि को कम कराने का प्रस्ताव नही किया गया था। पूर्व में निर्धारित 5000/- रूपयें ही अमानत राशि में रखा जाना उचित है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर अमानत राशि 5000/- रखे जाने का निर्णय लिया गया।
4.	7	40:4	श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री छीतर मल निवासी सर्वे संख्या 549, संजय नगर कच्ची बस्ती, डी.सी.एम जयपुर को निर्मित छोटी दुकान संख्या बी-22 क्षेत्रफल 43.56 वर्ग फीट (4.05 वर्ग मीटर)	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री जगदीश नारायण पुत्र श्री छीतर मल निवासी सर्वे संख्या 549, संजय नगर कच्ची बस्ती, डी.सी.एम जयपुर को निर्मित छोटी दुकान संख्या बी-22 क्षेत्रफल 43.56 वर्ग फीट (4.05 वर्ग मीटर) का आंवटन पूर्व में किया गया था। मगर आंवटी द्वारा प्राधिकरण की मांग पर राशि जमा नही कराने के फलस्वरूप दिनांक 20.01.06 को आंवटन निरस्त करते हुए प्रार्थी को सूचित कर दिया गया था। अब प्रार्थी उक्त दुकान का आंवटन पुन: बाहल करना चाहता है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि निदेशक (वित्त) द्वारा समुचित परीक्षण करवाकर पुन: आगामी मीटिंग में रखा जावें।
5.	9	40:5	रामनगरिया विस्तार योजना में रोड अलाइन्मेन्ट में परिवर्तन होने के कारण भू.सं. बी-462 से 469 तक एवं भू.सं ए-62 से ए-76 की गहराई में लगभग 10 मीटर बढने के कारण मूल आवंटित क्षेत्रफल में हुई वृद्वि के संबंध मे ली जाने वाली राशि का निर्धारण करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि भू.सं बी-462 से बी-469 में रोड अलाईमेन्ट में परिवर्तन के कारण एवं भूखण्ड संख्या ए-62 से ए-76 तक की गहराई में लगभग 10 मीटर बढने के कारण भूखण्डों के क्षेत्रफल में 100 वर्ग गज से अधिक वृद्वि हुई है। एल.पी.सी की बैठक दिनांक 25.04.07 के निर्णय की पालना में प्रकरण का पुन: तकनीकी परीक्षण करवाया गया जिसमें बढे हुये क्षेत्रफल में स्वतंत्र प्लानिंग किया जाना संभव नही। योजना में अन्य जगह भी भूमि उपलब्ध नही है अतिरिक्त भू-पट्टी अन्य किसी के काम न आने तथा स्वंतत्र उपयोग नही होने के कारण इन्ही भूखण्डधारियों को बढे हुये क्षेत्रफल का भूखण्ड आंवटित किया जाना उचित होगा। रामनगरिया विस्तार योजाना मे उपरोक्त भूखण्डों में 100 वर्ग गज से अधिक क्षेत्रफल में वृद्वि होने के कारण योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर रू. 2000/- की दुगुनी राशि 4000/- प्रति व.मी. ली जाकर बढे क्षेत्रफल का कब्जा पत्र व पट्टा जारी किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मामले में निदेशक (आयोजना) द्वारा समुचित परीक्षण पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
6.	9	40:6	महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट को अतिरिक्त भूमि आवंटन की दर निर्धारित करने बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट को पूर्व में आंवटित भूमि के पास त्रिभुजात्मक भूमि को एल.पी.सी की 26वीं बैठक दिनाक 08.02.06 में 1315.28 व.मी. भूमि आवंटन का निर्णय राज्य सरकार के आदेशाधीन लिया गया परन्तु एल.पी.सी द्वारा दर निर्धारित नही की गई अत: संस्थानिक की दर 4150/- रूपये प्रति वर्ग मीटर से राशि लिये जाने का प्रस्ताव किया। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मामले में निदेशक (आयोजना) द्वारा समुचित परीक्षण पश्चात् प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
7.	11	40:7	राजकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम जयचन्दपुरा पंचायत कुम्हारियावास तह. चाकसू को शाला भवन हेतु भूमि आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि उक्त शाला हेतु ग्राम जयचन्दपुरा पंचायत कुम्हारियावास तह. चाकसू को खेल मैदान हेतु ख.न. 53 रकबा 18.96 हैक्टर में से 4000 वर्गगज भूमि आंवटन किया जावें। मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र दर्शित है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण

				उक्तानुसार नि:शुल्क भूमि आंवटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान 2011 में भू-उपायोग ग्रामीण क्षेत्र दर्शित है। अत: भू-उपयोग उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुये आंवटन की कार्यवाही की जावे।
8.	11	40:8	ऑपरेश गुरूकल अभियान 2005 के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजयराजपुरा को भूमि आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय अजयराजपुरा हेतु ग्राम अजयराजपुरा तहसील सांगानेर के ख.न. 180 कुल रकबा 3.09 हैक्ट. भूमि किस्म गै.मु है। प्रकरण में जविप्रा नियमों में गै.मु रास्ते की भूमि आंवटन पर प्रतिबन्ध जानकारी में नही है तथा ना ही कम्पेन्डियम ऑफ जेडीए रूल्स में दृष्टिगत होते है। स्कूल द्वारा आंवटन हेतु 2900 वर्गमीटर भूमि चाही गई है। परन्तु रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए 1500 वर्गमीटर भूमि स्कूल को आंवटन किया जाना है। उक्त आंवटन पश्चात् भी पर्याप्त रास्ता उपलब्ध है। मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग नहीं दर्शाया है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नि:शुल्क भूमि आंवटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि शाला को निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि आंवटित कर दी जावे। एवं प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान 2011 में भू-उपायोग ग्रामीण क्षेत्र दर्शित है। अत: भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक करने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुये आंवटन की कार्यवाही की जावे।
9.	11	40:9	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सवाई जयसिंहपुरा तह. चाकसू को शाला भवन एवं खेल मैदान हेतु भूमि आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि जिला कलक्टर जयपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार राजकीय प्राथमिक विद्यालय सवाई जयसिंहपुरा को विद्यालय भवन/खेल मैदान हेतु ग्राम सवाई जयसिंहपुरा तहसील चाकसू के ख.न. 749, 860 रकबा 2.49 हैक्ट. में से 4000 वर्गगज भूमि आंवटन किया जाना उचित होगा ख.न. 749 में से 1500 वर्गगज तथा ख.न. 860 में से 2500 वर्गगज ली जानी है। मास्टर प्लान 2011 में उक्त भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र दर्शाया है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि नि:शुल्क भूमि आंवटन हेतु स्वीकृति इस निर्देश के साथ दी जाती है कि शाला को निर्धारित मापदण्ड अनुसार भूमि आंवटित कर दी जावे। एवं प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान 2011 में भू-उपायोग ग्रामीण क्षेत्र दर्शित है। अत: भू-उपयोग उपान्तरण संस्थानिक करने की कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करते हुये आंवटन की कार्यवाही की जावे।
10.	12	40:10	श्रीमती मूली देवी पत्नि शहीद श्री स्व.नायब सूबेदार मदनलाल (गेलेन्ट्री अवार्ड धारक वीर चक्र मरणोपरान्त) को स्वप्न लोक आवासीय योजना में 220 वर्गमीटर का भूखण्ड आंवटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्य के अनुसार प्रार्थीयाँ को प्रस्तावित किया गया भूखण्ड सं. सी-193 सी-197 सी-202 व डी-260, स्वप्न लोक क्षेत्रफल 220 वर्गमीटर के निरस्त होने के पश्चात रिक्त है जिनमें से एक भूखण्ड आंवटन किया जा सकता है। प्राथीयाँ ने अपने प्रार्थना-पत्र में 220 वर्गमीटर के भूखण्ड की मांग की है अत: 220 वर्गमीटर भूखण्ड का आंवटन आरक्षित आवासीय दर रू. 1750/- के 50 प्रतिशत दर से 875/- रू. पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि स्वप्न लोक आवासीय योजना में प्रार्थीयाँ को एक भूखण्ड का आवंटन आरक्षित आवासीय दर 1750/- रू. के 50 प्रतिशत दर से 875/- रू. पर आंवटन कर दिया जावे।
11.	12	40:11	ग्राम मंशारामपुरा तहसील जयपुर के खं.न 72 में से 1500 वर्ग मीटर भूमि Hot Flare System	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि गेल को पूर्व में जोन-12 द्वारा ग्राम मंशारामपुरा तहसील जयपुर के ख.न. 38 मे से 5.59 है0 भूमि दिनांक 31.07.2000 को रूपये 4.50 लाख प्रति बीधा की दर से आवंटित की गई है। जिसकी लीजडीड दिनांक 2.07.03 को जारी की जा चुकी है। उक्त भूमि

प्रति० आयुक्त (प्रशा.) जयपुर विकास प्राधिकरण

4/9

			स्थापित करने हेतु आंवटन करने बाबत।	गेल को पूर्व में आंवटन की गई भूमि से लगती हुई मौके पर भूमि रिक्त है तथा एच.टी.लाईन नही है व एल.टी लाईन गुजर रही है जिसको शिप्ट कराना होगा। गेल इण्डिया लि. ने पत्र दिनांक 06.01.07 एवं 17.02.07 द्वारा ग्राम मंशारामपुरा तहसील जयपुर के खं.न. 72 में से 1500 वर्ग मीटर भूमि Hazardouds hydro carban and as per Ministry of Petroleoum and Natural Gas & Safety Policy के तहत Hot Flare System स्थापित करने हेतु आवंटन की जा सकती है आवंटन की दर का निर्णय समिति द्वारा लिया जाना है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि ग्राम मंशारामपुरा तहसील जयपुर के खं.न. 72 में से 1500 वर्ग मीटर भूमि Hazardouds hydro carban and as per Ministry of Petroleoum and Natural Gas & Safety Policy के तहत Hot Flare System स्थापित करने हेतु एल.टी लाईन के शिप्ट होने के पश्चात् आवंटन हेतु प्रस्तुत किया जावें।
12.	12	40:12	श्रीमती प्रेम यादव पत्नि श्री जगदीश प्रसाद यादव को आनन्द लोक आवासीय योजना में 252 व.मी का भूखण्ड आंवटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन-12 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्य के अनुसार प्रार्थीयों को प्रस्तावित किया गया भूखण्ड सं. ई-278 आनंद लोक क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का निरस्त होने के पश्चात रिक्त है जिसे आंवटन किया जा सकता है। प्रार्थीयों ने अपने प्रार्थना पत्र में 220 वर्गमीटर के भूखण्ड की मांग की है जबकि 220 वर्गमीटर का भूखण्ड उपलब्ध नही है इसी कारण से 252 वर्गमीटर का भूखण्ड प्रस्तावित किया गया है। अत: 220 वर्गमीटर भूखण्ड आरक्षित आवासीय दर रू. 2300/- के 50 प्रतिशत दर से तथा शेष 32 वर्गमीटर भूमि जो ज्यादा है, का आंवटन आरक्षित दर का 115 प्रतिशत पर रू. 2645/- पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रार्थीयों को 252 वर्गमीटर भूखण्ड संख्या ई-278 आनंद लोक योजना में आंवटित कर दिया जावे। एवं 220 वर्गमीटर आवासीय आरक्षित दर 2300/-रू. के 50 प्रतिशत दर से तथा शेष 32 वर्गमीटर भूमि जो ज्यादा है का आंवटन नियमानुसार निर्धारित दरों पर किए जाने का निर्णय लिया गया।
13.	9	40:12(1)	भूखण्ड सं. डी-101 सैन्ट्रल स्पाइन जीरोता कॉर्नर बढे हुए क्षेत्रफल के आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि भूखण्ड संख्या डी-101 सैन्ट्रल स्पाइन जीरोता कॉर्नर भूखण्ड क्षेत्रफल 270 वर्ग मीटर का आंवटित किया गया। किन्तु मौके पर उक्त भूखण्ड 129.75 व.मी बढ गया। जिसका ए.टी.पी की रिपोर्ट अनुसार कोई स्वतन्त्र उपयोग नही हो सकता। इसलिये बढा हुआ क्षेत्रफल 129.75 व.मी भूखण्ड संख्या डी-101 के आंवटी को रिजर्व प्राइज की दुगुनी कीमत पर राज्य सरकार की स्वीकृति उपरान्त आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। समिति द्वारा. निर्णय लिया गया कि निदेशक (आयोजना) के स्तर पर वाद-समुचित परीक्षण प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावें।
14	9	40:12(2)	जविप्रा की आवासीय योजना रामनगरिया से नीलामी द्वारा कय भू.सं. ए-78 के विवादग्रस्त होने से आवंटी को अन्य भूखण्ड संख्या ए-203 रामनगरिया योजना के आंवटन की पुष्टि बाबत।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि श्री बलदेव राज भाटिया को नीलामी द्वारा भू.खं. ए-78 रामनगरिया योजना का आंवटन पत्र दि. 11.01.02 को जारी किया गया जिसके फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के पेटे निर्धारित राशि जमा कराकर पट्टा विलेख एवं कब्जा पत्र प्राप्त कर लिया गया है किन्तु आंवटित भूखण्ड विवादग्रस्त होने के कारण आंवटी का भूखण्ड संख्या ए-78 का आंवटन निरस्त कर विनियम में अन्य भूखण्ड ए-203 रामनगरिया योजना मे ही आंवटित किया जाकर कब्जा पत्र एवं पट्टा विलेख दिया जा चुका है फलस्वरूप नवीन आवंटित भूखण्ड ए-203 के आंवटन की पश्चातवर्ती स्वीकृति हेतु प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण का निदेशक (वित्त) के स्तर पर समुचित परीक्षण के उपरान्त आगामी बैठक में प्रस्तुत हों।

प्रति० आयुक्त (एल. सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

5/9

15	10	40:12(3)	ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में भेड़ व ऊन विभाग की भूमि में से 40 एकड़ भूमि निसा लेजर को आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्राम जामडोली तहसील जयपुर खं.न. 165 मि.व 448 मि. रकबा 188.08 बीधा भूमि में से 40 एकड़ भूमि BIDI की 22 वी बैठक दिनांक 19.10.06 में दिये गये निर्णयानुसार प्रचलित डी.एल.सी दर पर कम्पनी द्वारा तीन वर्ष के भीतर-भीतर 60 करोड़ रूपयों का विनियोग करने की शर्त पर आंवटित करने का निर्णय लिया गया। आंवटन राशि पशुपालन विभाग (राज्य सरकार) के खाते में जमा कराने एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू-उपायोग परविर्तन की कार्यवाही आंवटित संस्था द्वारा पूर्ण करवायी जानी है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि BIDI की 22 वीं बैठक दिनांक 19.10.06 के निर्णय की पालना की शर्तो व भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त पर प्रचलित डी.एल.सी दर पर नियमानुसार आंवटन करने का निर्णय लिया गया।
16	10	40:12(4)	ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में भेड़ व ऊन विभाग की भूमि मे से 25 एकड़ भूमि जेनपेक्ट को आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्राम जामडोली तहसील जयपुर खं.न. 165 मि.व 448 मि. रकबा 188.08 बीधा भूमि में से 25 एकड़ भूमि BIDI की 22 वी बैठक दिनांक 19.10.06 में दिये गये निर्णयानुसार प्रचलित डी.एल.सी दर पर कम्पनी द्वारा तीन वर्ष की भीतर भीतर 144 करोड़ रूपयों का विनियोग एवं 600 लोगो को रोजगार देने की शर्त पर आंवटित करने का निर्णय लिया गया। आंवटन राशि पशुपालन विभाग (राज्य सरकार) के खाते में जमा कराने एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू- उपायोग परविर्तन की कार्यवाही आंवटित संस्था द्वारा पूर्ण करवायी जानी है प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि BIDI की 22 वीं बैठक दिनांक 19.10.06 के निर्णय की पालना की शर्तो व भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त पर प्रचलित डी.एल.सी दर पर नियमानुसार आंवटन करने का निर्णय लिया गया।
17	10	40:12(5)	धाकड़ समाज समिति, जयपुर को छात्रावास/ धर्मशाला हेतु भूमि आंवटन बाबत	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्राम पालडी मीणा तहसील सांगानेर के ख.न. 50 रकबा 2.76 है. जविप्रा स्वात्वि की भूमि मे से 1 एकड़ भूमि किस्म बंजड प्रथम का आंवटन उक्त संस्था को भू-उपायोग ईकोलोजिकल से संस्थानिक करवाये जाने की शर्त पर किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी बैठक हेतु स्थगित किया गया।
18	10	40:12(6)	ग्राम जामडोली तहसील जयपुर में भेड़ व ऊन विभाग की भूमि में से 40 एकड़ भूमि इंस्टीट्यूट ऑफ चाटर्ड फाइनेशियल एनालिस्ट आफ इंडिया (ICFAI) को आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्राम जामडोली तहसील जयपुर खं.न. 505/1 रकबा 99.05 बीघा भूमि में से 40 एकड़ भूमि BIDI की 22 वी बैठक दिनांक 19.10.06 में दिये गये निर्णयानुसार प्रचलित डी.एल.सी दर पर कम्पनी द्वारा पांच वर्ष के भीतर-भीतर 30 करोड़ रूपयों का विनियोग एवं 100 लोगो को रोजगार देने की शर्त पर आंवटित करने का निर्णय लिया गया। आंवटन राशि पशुपालन विभाग (राज्य सरकार) के खाते में जमा कराने एवं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार भू उपायोग परविर्तन की कार्यवाही आंवटित संस्था द्वारा पूर्ण करवायी जानी है। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि BIDI की 22 वीं बैठक दिनांक 19.10.06 के निर्णय की पालना की शर्तो व भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त पर प्रचलित डी.एल.सी दर पर नियमानुसार आंवटन करने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,

6/9

19	10	40:12(7)	बीसलपुर- जयपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हेतु भूमि आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि आयुक्त महोदय की अनुमति एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(4)नवि/3/07 दिनांक 15.02.07 के द्वारा ग्राम खो नागोरियान तहसील सांगानेर के खं. न. 2065 रकबा 0.93 है. मे से 3119.54 वर्ग गज भूमि का नि:शुल्क आंवटन किये जाने की स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रश्नगत भूमि का आवंटन पत्र दिनांक 24.07.07 को जारी किया जा चुका है। प्रकरण कार्योत्तर स्वीकृति हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है। प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
20	10	40:12(8)	नारायण हृदयाल्या इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साईस बैंगलोर को जयपुर में हैल्थ सिटी की स्थापना हेतु भूमि आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-10 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि संस्था द्वारा वांछित न. 246,247,248 ग्राम बगराना की भूमि का मास्टर विकास योजना 2011 में भू उपायोग ग्रामीण है। जिस पर जविप्रा की बगराना ट्रान्सपोर्ट नगर योजना सृजित है जिसकी भूमि उपायोग ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने हेतु 25(3) की विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है एल.पी.सी की बैठक दिनांक 30.06.07 को नारायण हृदयाल्या इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साईस बैंगलोर हेतु 50 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी थी जिसमें से मेडिकल रिसोर्स एवं प्लानिंग कमेटी की अनुशषा के अनुसार 35 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के निर्णयार्थ प्रस्तुत है। प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया नारायण हृदयाल्या इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साईस बैंगलोर को 35 एकड़ भूमि भू-उपायोग ग्रामीण से संस्थानिक एवं बी.आई.पी के निर्णय के अध्याधीन सशर्त आरक्षित दर के 40 प्रतिशत राशि पर आंवटन किये जाने की स्वीकृति नियमानुसार प्रदान की जाती है।
21	7	40:12(9)	सेंट थॉमस ऑरथोडोक्स सिरियन चर्च सोसायटी, जयपुर स्कूल भवन निर्माण हेतु गिरधारीपुरा कच्ची बस्ती के पास ख. न. 57 में से 4000 वर्ग गज भूमि आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि ग्राम गिरधारीपुरा के खं. न. 57 रकबा 5 बीघा 10 बीस्वा भूमि से 4000 वर्ग गज राजकीय भूमि आंवटन हेतु प्रस्तावित की है। प्रकरण में समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित राज्य सरकार को प्रेषित कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावें।
22	11	40:12(10)	बालमुकन्दपुरा योजना में भूखण्ड संख्या बी-169 एफ के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी-116 विनियम बाबत।	उपायुक्त जोन-11 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि आंवटित भूखण्ड संख्या बी-169 एफ के स्थान पर भूखण्ड संख्या बी-116 का विनियम स्वीकार किया जावे। समिति द्वारा प्रकरण निदेशक (आयोजना) के स्तर पर वाद-समुचित परीक्षण आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
23	7	40:12(11)	गोविन्दपुरा करधनी में पुलिस थाना झोटवाडा को ''पुलिस चौकी करधनी'' में स्थापित करने के लिए भूमि आंवटन बाबत।	उपायुक्त जोन-7 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि गोविन्दपुरा में करधनी आवासीय योजना पूर्व मे कास्तकार द्वारा निर्मित भवन गोविन्दपुरा ''ए''-ब्लाक स्थित है। उक्त भवन की लम्बाई 21.05 मीटर एवं चौडाई 15 मीटर है जिसमें वर्तमान में पुलिस चौकी स्थापित है का आवंटन पुलिस अधीक्षक जयपुर शहर दक्षिण को कर दिया जावे। समिति द्वारा प्रकरण में प्रस्तावानुसार आंवटन नियमानुसार करने का निर्णय लिया गया।
23	11	40:12(12)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरखेडा ग्राम पंचायत काठावाला तह. चाकसू को शाला भवन हेतु भूमि आंवटन बाबत।	प्रकरण में एल.पी.सी बैठक क्रमांक 16 मे लिए गए निर्णयानुसार रा.प्रा.वि. बरखेडा ग्राम पंचायत काठावाला तह. चाकसू को 1.55 हैक्ट. भूमि आंवटित की गई थी। परन्तु राज्य सरकार के परिपत्र प-3(55)नविवि/03/02 दिनांक 14.02.03 अनुसार संभागीय मुख्यालय के अतिरिक्त स्थानों पर प्राथमिक विद्यालय को 4000 वर्गगज भूमि नि:शुल्क आंवटित की जा सकती है अत: प्रकरण में खं.न. 710 में विद्यालय निर्मित होने के कारण एल.पी.सी की की बैठक न. 16 के निर्णय मे संशोधन कर ख.न. 710 मे से 4000 वर्गगज भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय

अति० आयुक्त (...)
जयपुर विकास प्राधिकरण

7/9

				बरखेडा ग्राम पंचायत काठावाला तह. चाकसू को आवंटित किया जाना उचित होगा। प्रकरण में निर्णय लिया गया कि एल.पी.सी की बैठक क्रमांक 16 में लिये निर्णय को संशोधित करते हुए प्रस्तावानुसार 4000 वर्गगज भूमि विद्यालय को नियमानुसार आंवटन करने का निर्णय लिया गया।
24	9	40:12(13)	डॉ एम.एन. टण्डन मैमोरियल चैरीटेबल ट्रस्ट जयपुर को अतिरिक्त भूमि आवंटन करने के संबंध में।	उपायुक्त जोन-9 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि प्रकरण में संस्था ने 2000 वर्गमीटर भूमि की मांग की थी। परन्तु उसे 2000 वर्गमीटर के वजाय 2000 वर्ग गज भूमि आवंटित कर दी गयी। मौके पर जो भूखण्ड आवंटित किया उसका क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर पाया गया। अत: अतिरिक्त 391 वर्ग गज भूमि को सम्मिलित कर भूखण्ड के आकार के अनुसार अर्थात 2000 वर्गगज की वजाय 2000 वर्ग गज मीटर भूमि आवंटित करके संशोधित ओदश जारी कर अतिरिक्त भूमि के आंवटन की दर निर्धारित करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण में निर्णय लिया गया कि प्रस्तावानुसार प्रकरण समस्त तथ्यों के साथ क्षेत्र संशोधन व दर निर्धारण की कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें।
25.	2	40:12(14)	नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल रिसर्च सेन्टर को सुभाष नगर शोपिंग सेंटर मे स्त्री रोग, नैफ्रोलोजी एवं गुर्दा प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	उपायुक्त जोन-2 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि एल.पी.सी. की 15वीं बैठक दि. 10.03.05 के अनुसार संस्था को 3000 वर्गगज शास्त्री नगर रोड पर दरगाह के सामने ग्राम किशनबाग तह0 जयपुर के ख.नं. 113/2 रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा में से आवंटित की गई, जिसकी पालना में संस्था को 2508 वर्गमीटर भूमि का आवंटन पत्र जारी किया गया। दि. 21.04.05 को इसका आवंटन आरक्षित दर 2100 की 125 प्रतिशत पर जारी किया गया। यह भूमि वाणिज्यिक है। जिसका खुली नीलामी के द्वारा निस्तारण का प्रावधान है। वाणिज्यिक भूमि का संस्थानिक प्रयोजनार्थ आवंटन एवं दर निर्धारण के नियमों में शिथिलता देने का अधिकार राज्य सरकार को है। इस हेतु सम्पूर्ण तथ्यों के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावें। प्रकरण पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत भूमि सुभाष नगर शॉपिंग सेंटर की वाणिज्यिक भूमि होने व पूर्व में आवंटित भूमि पर आज भी स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों सहित मामला राज्य सरकार को भिजवाया जावें।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई ।

3/7/07

सदस्य सचिव
अति० आयुक्त (एल.पी.सी
एवं
जयपुर विकास प्राधिकरण,
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2- अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3- महापौर, जयपुर नगर निगम, जयपुर।
4- प्रमुख, जिला परिषद, जयपुर।
5- श्री सुरेन्द्र पारीक, विधायक, हवामहल।
6- श्री लक्ष्मी नारायण बैरवा, विधायक, फागी।
7- श्री मोहन लाल गुप्ता, विधायक, किशनपोल।
8- प्रो0 बीरू सिंह राठौड़, विधायक, बनीपार्क।
9- श्री कालीचरण सर्राफ, विधायक, जौहरी बाजार।
10- श्री कन्हैया लाल मीणा, विधायक, बस्सी।
11- श्री नवरतन राजौरिया, विधायक, सांभर।
12- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13- निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
14- जिला कलक्टर, जयपुर।
15- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
16- मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
17- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
18- मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर।
19- सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20- निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
21- अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर।
22- अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
23- उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ।
24- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
25- रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

9/9

परिशिष्ठ-अ

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 40वीं बैठक दिनांक 28-07-07 में उपस्थित रहे जन-प्रतिनिधियों/ अधिकारियों की सूचीः-

क्र.सं.	नाम जनप्रतिनिधि/ अधिकारी मय पद	एल0पी0सी0 में पद
1-	श्री डी0 बी0 गुप्ता, आयुक्त	अध्यक्ष
2-	श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, मा0 विधायक	सदस्य
3-	श्री सुरेन्द्र पारीक, मा0 विधायक	सदस्य
4-	श्री रामनिवास मीणा, सचिव, जविप्रा, जयपुर	सदस्य
5-	श्री एस0सी0 महागांवकर, निदेशक (आयोजना)	सदस्य
6-	श्री नरेश कुमार शर्मा, अति0 आयुक्त (एल0पी0सी0	सदस्य सचिव
7-	श्री बी0के0 दोषी, अति0 आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8-	श्री एन0के0 खीचा, अति0 आयुक्त (भूमि)	सदस्य
9-	श्री सी. एम. अग्रवाल, ओ.एस.डी. (आर.एम.)	सदस्य
10-	श्री गिर्राज अग्रवाल, उपायुक्त-7	विशेष आमंत्रित
11-	श्री राजेन्द्र शर्मा, उपायुक्त-12	विशेष आमंत्रित
12-	श्री डी0आर0 सैनी, उपायुक्त-10	विशेष आमंत्रित
13-	श्री अरूण गर्ग, उपायुक्त-11	विशेष आमंत्रित
14-	श्री वासुदेव शर्मा, उपायुक्त-9	विशेष आमंत्रित
15-	श्री महेन्द्र सोनी, उपायुक्त-6	विशेष आमंत्रित
16-	श्री भगवान सहाय शर्मा, उपायुक्त-2	विशेष आमंत्रित

अति. आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण,